

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

कलावती सरन चिल्ड्रेन्स अस्पताल नई दिल्ली में “ज्येष्ठ फीजियोथेरपिस्ट” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे में संशोधन की सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, कलावती सरन चिल्ड्रेन्स अस्पताल नई दिल्ली में “ज्येष्ठ फीजियोथेरपिस्ट” पद के लिए भर्ती नियम मसौदे में संशोधन संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

आभिषेक पांडेय

(अभिषेक पांडेय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष - 23061510

(अभिषेक पांडेय)

(ABHISHEK PANDEY)

अवर सचिव/Under Secretary

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare.

भारत सरकार/Govt. of India

नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली

दिनांक :

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2024

सा.का.नि. ... -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ आशुलिपिक, समूह ख, भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज-कलावती सरन बाल अस्पताल में ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज-कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 है।
(L) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर यह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: यह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व रौनिकों और अन्य विशेष प्रवर्त्त के व्यक्तियों लिए नहीं करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट ।	(1)* 2024 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56100-177500 रुपये)।	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं ऐन्तर्राष्ट्रीय दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधा होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतत
(7) लागू नहीं होता।	(8) आयु-लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता।	(9) प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने दे	(10) प्रोन्नति द्वारा।

		लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवैक्षणिक प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपये) में ऐसे भौतिक चिकित्साविद् जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संगत क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा यथाप्रायोजित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणि: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति लिए विचार किया जा रहा हो, वह उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इसमें जो भी कम हो, कम नहीं।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य-अध्यक्ष ii. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-सदस्य iii. उप महानिदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय-सदस्य iv. अपर चिकित्सा अधीक्षक जो फीजियोथेरेपिस्ट, कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देख रहे हैं- सदस्य। <p>विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) की संरचना:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-सदस्य ii. उप महानिदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय-सदस्य iii. अपर चिकित्सा अधीक्षक जो फीजियोथेरेपिस्ट, कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देख रहे हैं- सदस्य। 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। जगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

[ए.11018/23/2024-एमएच-II]

(अभिषेक पांडेय)

अवर सचिव, भारत सरकार